(26)

समक्ष न्यायालय श्रीमान प्रशासकीय सदस्य मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर I/पुनर्विलोकन/छिंदवाड़ा/भू.रा/2018/0923

पुर्नविलोकनकर्ता :– अशोक चौकसे आयु करीब 67 वर्ष पिता स्व. श्री शंकर लाल जी चौकसे पार्टनर टारमेक कंस्ट्रक्शन कंपनी निवासी शांतिपुरा नागपुर रोड छिन्दवाड़ा, तह. व जिला – छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

–: विरूद्ध :–

उत्तरवादीगण :– (1) कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(2) खनिज अधिकारी जिला अध्यक्ष कार्यालय छिन्दवाड़ा
(3) अनुविभागीय अधिकारी सौंसर जिला छिन्दवाड़ा

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

पुर्नविलोकनकर्ता द्वारा माननीय अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर के समक्ष नियमित राजस्व अपील अंतर्गत धारा 44 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 प्रस्तुत की गई थी जिसका अपील क्र.–एक/अपील/छिन्दवाड़ा/भू.रा./2017/2533 जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 17.01.18 को प्रशासकीय सदस्य द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर अपील को प्रचलन योग्य न मानकर अग्राह्य किया गया है उपरोक्त आदेश के विरूद्ध पीठासीन प्रशासकीय सदस्य के समक्ष यह पुर्नविलोकन आवेदन पत्र निम्न आधारों सहित प्रस्तुत किया जाता है :–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/रिव्यु/छिन्दवाडा/भू0रा0/2018/0923

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27/8/19	यह पुनर्विलोकन अपील प्रकरण क्रमांक एक/अपील/छिन्दवाडा/भू0रा0/2017/2533 में मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-01-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । यह आदेश इस विधिक प्रावधान पर आधारित है कि संचालक भौमिकी एवं खनिज के द्वारा अपील में निराकृत प्रकरण अथवा जिला कलेक्टर के द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध अपील राजस्व मण्डल में प्रचलन योग्य नहीं है। 2/ कलेक्टर जिला छिंदवाडा के द्वारा दिनांक 29-9-2016 को प्रकरण क्रमांक 1291/खनिज/2016 में जो आदेश पारित किया है उसके विरूद्ध अपील राजस्व न्यायालय में किस आधार पर की गई है यह स्पष्ट नहीं है । सामान्यत: कलेक्टर के किसी भी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील संभागीय आयुक्त के समक्ष होती है । इस विधिक प्रावधान के आधार पर ही मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी ने दिनांक 17-01-2018 को आदेश पारित किया था जिसको पुनर्विलोकन में लिये जाने का कोई पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है । अत: यह पुनर्विलोकन याचिका आधारहीन होने से निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को भेजा जाये । (इकबाल सिंह बैंस) 27/8/19 अध्यक्ष	